

<sup>1</sup>[प्ररूप सं. 68

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 270कक(2) के अधीन आवेदन का प्ररूप

व्यक्तिगत जानकारी			
पहला नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम या अस्तित्व का नाम	2[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक]
फ्लैट/मकान/ब्लॉक सं.		परिसर/भवन/ग्राम का नाम	सड़क/गली/डाकघर
क्षेत्र/अवस्थिति		नगरी/शहर/जिला	राज्य
देश	पिन कोड	एसटीडी कोड सहित फोन नं./मोबाइल नं.	ई-मेल पता

आदेश और भुगतान का विवरण				
1	निर्धारण वर्ष			
2	वह धारा, जिसके अधीन निर्धारण/पुनः निर्धारण* आदेश पारित किया गया			
3	निर्धारण/पुनः निर्धारण* के आदेश की तारीख			
4	निर्धारण/पुनः निर्धारण* के आदेश की तामील की तारीख			
5	निर्धारण/पुनः निर्धारण* आदेश के अनुसार मूल्यांकित आय की रकम			
6	कर और मांग (रुपए) के नोटिस के अनुसार सदेय कर और ब्याज			
7	मांग नोटिस के अनुसार सदेय में ली गई सम्यक् तारीख			
8	संदत्त रकमों का ब्यौरा			
	क्रम सं.	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	चालान की क्रम संख्या
	(i)			
	(ii)			
	(iii)			

1. आय-कर (पच्चीसवां संशोधन) नियम, 2016 द्वारा 1.4.2017 से अंतःस्थापित किया जाएगा।

2. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से “स्थायी खाता संख्यांक” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

**प्ररूप का सत्यापन**

मैं, .....जो.....पुत्र/पुत्री हूँ, मैं और घोषणा करता हूँ कि ऊपर स्तंभ 2 में उल्लिखित आदेश की बाबत कोई अपील फाइल नहीं की गई है। मैं वचनबंध करता हूँ कि आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 270कक(4) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पूर्व उक्त आदेश की बाबत कोई अपीलफाइल होगी। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं अपनी.....हैसियत में दे रहा हूँ और मैं इस फाइल के लिए आवेदन और सत्यापित करने के लिए सक्षम भी हूँ।

स्थान .....

..... हस्ताक्षर

तारीख.....

..... मुहर

(जब कभी लागू हो)

\*जो लागू न हों उसे काट दें ]